

To be circulated among all staff members and for student

Notice Board

20-2-21

6319
20-3-2021

देषक

प्रेषित

उपायुक्त, कैंथल।

6319

20-3-2021

Sh. Jaashal Mahal
Sh. Mohan Singh

Principal

1. सभी विभागाध्यक्ष,
स्थित जिला कैंथल।
2. प्रधानाचार्य, सभी कॉलेज स्थित जिला कैंथल।
3. प्रधानाचार्य सभी स्कूल स्थित जिला कैंथल मार्फत जिला शिक्षा अधिकारी

क्रमांक: 14248-417/एमओए0 दिनांक- 19-03-2021

विषय:- कोविड-19 वैक्सीनेशन की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए सभी स्टाफ का वैक्सीनेशन करवाने बारे।


उपरोक्त विषय के संदर्भ में। संदर्भित मामले में आपको लिखा जाता है कि आज दिनांक 19-03-2021 को 12-30 बजे माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा बारे विडियो कॉन्फ्रेंस को माध्यम से बैठक हुई। विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा व स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा द्वारा वैक्सीनेशन गति को तीव्रता प्रदान करने एवं संख्या बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित करने बारे निर्देश दिये गए। यह भी निर्देश दिये गए कि प्रत्येक सप्ताह में सोमवार व मंगलवार को मेमा वैक्सीनेशन किया जाए और मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए।

आत विडियो कॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि -

1. आप अपने अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत सभी स्टाफ सदस्यों का वैक्सीनेशन करवाना सुनिश्चित करें। वैक्सीनेशन करवाने के लिए पूर्व में नाम पंजीकरण होना अनिवार्य नहीं है। अपने एरिया में स्थित नागरिक हस्पताल, सीएचसी, पीएचसी या सरकार के पैनाल पर आधारित निजी हस्पताल में कोई भी पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है।

मास्क पहनना अनिवार्य है और मास्क ना पहनने पर सरकार की हिदायतोंनुसार मु0 500-00 रु0 जुर्माना वसूला जाएगा।

- 3- अपने-अपने कार्यालय से सम्बन्धित वैक्सीनेशन एवं मास्क चालान की सूचना प्रत्येक बुधवार को इस कार्यालय की ई-मेल (mabbranch2015@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, कैथल उक्त कार्य के अतिरिक्त उपरोक्त निर्देशों का सोशल मिडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
- 5- इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कौताही को गम्भीरता से लिया जाएगा और सम्बन्धित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाने हेतु मुख्यालय को लिख दिया जाएगा।


उपायुक्त, कैथल।